HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Suspension of Sentence Application No. 1951/2026
IN

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2087/2026
CNR: RJHC020879852026 | URN: CRLAS / 3624U / 2026

Subedar S/o Kamruddin, Resident of Salempur Police Station Laxmangarh, District Alwar.

----Accused-Appellant

Versus

State of Rajasthan, Through Its Public Prosecutor

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Shriram Yadav, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

14/09/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त **सुबेदार पुत्र कमरूद्दीन** की ओर से धारा **430 बी.एन.एस.एस.** के अंतर्गत, विद्वान विचारण न्यायालय– **अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2, अलवर (राजस्थान)** के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या– **42/2018,** उनवान **सरकार बनाम सुबेदार** में पारित निर्णय व आदेश/दंडादेश दिनांक **24–08–2026,** जिसके द्वारा प्रार्थी–अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा **2, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम** में दोषसिद्ध कर निम्न आदेश/दंडादेश पारित किया है, के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है:–

अन्तर्गत धारा	सजा	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
2, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908	03 साल का साधारण कारावास	3,000/– रुपये	15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास

2 विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से नियम 311 (3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियमावली 1952 का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है।

3 बहस सुनी गई।

4 विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का दौराने बहस कथन है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूंठा संलिप्त किया गया है एवं उसे दोषसिद्ध करने हेतु लेशमात्र साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उनका यह भी कथन है कि तथाकथित विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी खुले स्थान से होना बताया गया है एवं प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र गवाह को साक्षी नहीं बनाया गया है, जिससे बरामदगी कार्यवाही विश्वसनीय नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी–अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत पर आजाद था एवं विचारण न्यायालय द्वारा उसकी सजा एक माह के लिए अस्थायी तौर पर स्थगित की हुई है, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः न्यायहित में उसका सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे रिहा किया जावे।

5 विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

6 मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

7 हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति तथा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील के निर्णयार्थ महत्वपूर्ण तथ्य एवं विधि का प्रश्न अन्तर्वलित है, अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर

टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8 परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **सुबेदार पुत्र कमरूद्दीन** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **50,000/–रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं **25,000–25000/–रूपए (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **14–10–2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो निम्न शर्तों के अन्तर्गत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए ''**दण्डादेश**'' (sentence) की क्रियान्विती को इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जावे।

1– कि प्रार्थी–अभियुक्त प्रत्येक माह की **पहली तारीख (अवकाश होने पर अगले दिन)** पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा।

2– कि प्रार्थी–अभियुक्त के पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाने की स्थिति में संबंधित पुलिस थाने द्व ारा इसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाएगी।

3– कि प्रार्थी–अभियुक्त के पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाने पर अभियोजन पक्ष यह जमानत आदेश निरस्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

4– कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त अपील के विचारण के दौरान अपना स्थायी निवास का पता बदलता है तो वह इस संबंध में लिखित में सूचना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता को जो कि उसके मामले में पैरवी कर रहे हैं को अविलम्ब देगा।

9 आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि वह प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलके इस न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित करे।

(BHUWAN GOYAL),J

16/RAHUL